कार्यकारी सारांश

खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित और गैर-नवीकरणीय हैं; इसलिए, उनका दोहन दीर्घकालिक लक्ष्यों और परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है। राजस्थान को 81 प्रकार के खनिजों का वरदान प्राप्त है, जिनमें से 57 का व्यावसायिक रूप से दोहन किया जा रहा है। देश में सर्वाधिक संख्या में खननपट्टे राजस्थान में हैं। खनिजों के बड़े पैमाने पर अवैध खनन के संबंध में मीडिया में लगातार खबरें आती रही है। विभाग ने स्वयं वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान अवैध खनन गतिविधियों के 48,486 प्रकरणों की पहचान की। वर्ष 2019-20 के दौरान अवैध खनन के प्रकरणों में 2015-16 की तुलना में 169 प्रतिशत् की वृद्धि हुई। यह निष्पादन लेखापरीक्षा, यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है और उपलब्ध रिमोट सेंसिंग डाटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके राज्य में अवैध खनन के मामलों की पहचान/जांच कर रही है।

(अनुच्छेद 1.1 एवं 1.2)

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का दायरा अवैध खनन गतिविधियों को पता लगाने के लिए स्थापित तंत्र एवं खान व भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये सुधारात्मक कार्यवाही की जांच करना है। हमने अवैध खनन के मामलों की जांच के लिए विभाग के पास संसाधनों की उपलब्धता के प्रश्न का समाधान करने का प्रयास किया है। लेखापरीक्षा ने गुगल अर्थ प्रो के माध्यम से रिमोट सेंसिंग डाटा और जी.आई.एस. तकनीक का उपयोग किया है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के लिए की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा में खननपट्टों/अवैध खनन स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के साथ-साथ राज्य के 12 खनि कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच भी शामिल है। लेखापरीक्षा ने इन चयनित कार्यालयों में खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के क्षेत्र का पता लगाने के लिए अभिलेखों और उपग्रह चित्रों के माध्यम से एक स्वतंत्र जांच की है।

(अनुच्छेद 2.3)

निष्पादन लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मुफ्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं किया। लेखापरीक्षा ने खननपट्टों की ओवरलैपिंग और खननपट्टों के बीच रिक्त क्षेत्रों का आवंटन/नीलामी न करना इत्यादि जैसी अनियमितताएं पायी। संबंधित अधिकारियों द्वारा खानों के अपर्याप्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप इन अनियमितताओं की पहचान नहीं हो सकी।

रिमोट सेंसिंग डाटा एवं जीआईएस तकनीक के उपयोग से, लेखापरीक्षा ने कुल 49 खण्ड कार्यालयों में से पांच चयनित खण्ड कार्यालयों के अन्तर्गत चयनित पांच तहसीलों में स्वीकृत खननपट्टों के नजदीक 122 प्रकरणों (नमूना जांच किये गये खननपट्टों का 34 प्रतिशत) में अवैध खनन गतिविधियों की पहचान की। 83.25 हेक्टेयर में अवैध खनन की पहचान की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 खननपट्टों में खनिज का उत्खनन नहीं किया गया था, तथापि 22,854 ई-रवन्नों[1] का दुरुपयोग करके 5.20 लाख मीट्रिक टन खनिज निर्गमित किया गया।

(अनुच्छेद 3.1 एवं 3.2)

[1] खनन विभाग द्वारा जारी इलेक्ट्रोनिक चालान, खननपट्टा क्षेत्र के निर्गमन हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

विभाग ने खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए 10 अक्टूबर 2017 से एक वेब-आधारित एप्लिकेशन 'डीएमजीओएमएस' की शुरुआत की थी। तथापि, विभाग प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहा। अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित 53 प्रकरणों में मांग राशि (₹ 71.20 करोड़) को डीएमजीओएमएस में संधारित मांग रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया था। खननपट्टों से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र/संचालन सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का निर्गमन पाया गया परन्तु अनुमत्त मात्रा से अधिक खनिज के निर्गमन को रोकने के लिए प्रणाली में कोई नियंत्रण नहीं था। विभाग द्वारा 38 खननपट्टों में खनिजों की अधिक/अनाधिकृत मात्रा के उत्खनन पर ₹ 13.99 करोड़ की शास्ति अरोपित नहीं की गयी थी।

(अनुच्छेद 3.4.1 एवं 3.4.2)

राजस्थान में अधिशुल्क की दरें कुछ विशिष्ट खनिजों को छोड़कर खनिज के वजन पर आधारित होती हैं। तुला पुलों के संचालन की समीक्षा में चयनित तुला पुलों में से 81.68 प्रतिशत् तुला पुलों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। 33.28 प्रतिशत् ई-रवन्नों की पुष्टि के लिए एक ही वाहन के फोटो का कई बार उपयोग किया गया। यह प्रदर्शित करता है कि जिन वाहनों के लिए ई-रवन्ना जारी किये गये थे, वे या तो तुला पुल तक नहीं पहुंचे या बिना वजन करवाये ही चले गए। ये प्रकरण दर्शाते हैं कि वाहन के वास्तविक वजन के बिना ई-रवन्ना की पुष्टि की गई थी। विभाग तुला पुलों के संचालन की निगरानी करने में विफल रहा, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के राजकोष हेतु अधिशुल्क संग्रहण पर पड़ा।

(अनुच्छेद 4.1)

विभाग के पास मुद्रित क्रमांक पंचनामों के उपयोग की कोई व्यवस्था नहीं थी। विभागीय कर्मियों द्वारा हाथ से क्रमांक लिखकर पंचनामें तैयार किये जाते हैं। इसके अलावा, 511 पंचनामों को डीएमजीओएमएस पर अपलोड नहीं किया गया था और उच्च अधिकारियों को भी नंबरिंग की इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण अवैध खनन गतिविधियों से अवगत नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, खनिजों के अवैध निर्गमन के 1,121 प्रकरणों के संबंध में अवैध खनन के स्रोतों/स्थलों की जांच नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 4.2.1 एवं 4.2.3)

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिशुल्क के निर्धारण को आवश्यक सावधानियों के साथ अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 28 प्रकरणों में अधिशुल्क, खनिज कीमत और प्रशमन शुल्क की राशि ₹ 14.20 करोड़ का गलत निर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

खनन पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उत्खनित एवं निर्गमित खनिज को दर्शाने वाली निर्धारित मासिक एवं वार्षिक विवरणियों की निगरानी विभाग द्वारा नहीं की जा रही थी। डीलरों के स्टॉक से अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों के निर्गमन की जांच के लिए कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गयी थी। इसके अलावा, खदान अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा किए गए खनिजों के निर्गमन की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं पाया गया।

(अनुच्छेद 5.1)

अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सरकारी राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के पास एक सतर्कता शाखा है । वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान, सतर्कता कार्यालयों ने 956 प्रकरणों की पहचान की, जबकि समान क्षेत्राधिकार वाले खण्ड कार्यालयों ने अपने नियमित कार्य के अलावा अवैध खनन गतिविधियों के 2,434 प्रकरणों की पहचान की । यह इंगित करता है कि सतर्कता शाखा का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं था और अवैध खनन गतिविधियों की पहचान के लिए विशेष शाखा की स्थापना का उद्देश्य भी एक हद तक विफल रहा ।

(अनुच्छेद 7.2)

संक्षेप में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रणाली को मजबूत करने हेतु सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है । इस संबंध में, उपलब्ध आंकड़ों और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकार के लिए एक शक्तिशाली साधन साबित हो सकते हैं ।